

MS/18/5/AD  
29/6

मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग की निष्प्रयोज्य भूमि के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2050/05-27-सिं-3-8एल/2005, दिनांक 03 अक्टूबर 2005 द्वारा गठित मुख्य सचिव स्तरीय समिति की दिनांक 12 मार्च 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नांकित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

क्रमांक	अधिकारी का नाम, पदनाम, विभाग
1.	श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2.	श्री एम०पी० अग्रवाल, सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3.	श्री हरि कान्त त्रिपाठी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4.	श्री सी०वी०सिंह, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5.	श्री पियुष चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6.	श्री वी०के०एल० श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7.	श्री आनन्द मोहन प्रसाद, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
8.	श्री मुकेश शर्मा, मुख्य अभियंता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
9.	श्री बृजेश मिश्रा, मुख्य अभियंता, दिल्ली मेट्रो, रेल कारपोरेशन लि० मेट्रो भवन, फायर विग्रेड, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।
10.	संजय कुमार अग्रवाल, उप मुख्य अभियंता, दिल्ली मेट्रो, रेल कारपोरेशन लि०।
11.	श्री ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियंता, अनु० एवं नियो० मं-6, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।
12.	श्री महेश चन्द्र, अधिशासी अभियंता, यूनिट-2 अनु० एवं नियो० मं-6, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।

बैठक में मुख्य सचिव स्तरीय समिति के समक्ष पूर्व निर्धारित निम्नवत् एजेण्डा विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया :-

एजेण्डा- जसौला, नई दिल्ली स्थित भूमि को मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० द्वारा मेट्रो के निर्माण हेतु जनकपुरी वेस्ट बोटनिकल गार्डन (लाईन-8) के प्रोजेक्ट फेज-III हेतु स्थायी हस्तानान्तरण पर भूमि की मांग के सम्बन्ध में।

समिति के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

“सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को ग्राम ओखला व जसौला के अन्तर्गत आगरा नहर दांयी पटरी में क्रमशः खसरा नं०-207 एवं खसरा नं०-305 की 42698.65 वर्गमीटर अर्थात् एकड़ भूमि को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० द्वारा मेट्रो के निर्माण हेतु जनकपुरी बोटनिकल गार्डन (लाईन-8) के प्रोजेक्ट फेज-III हेतु, स्थायी रूप से दिये जाने हेतु के में प्रचलित विभागीय नीति के अनुसार सर्किल रेट रु० 68.90 प्रति लाख एकड़ की दर से क्षेत्र में दो गुना के आधार पर रकबा 10.55 एकड़ हेतु धनराशि कुल  $10.55 \times 68.90 \times 2 =$  रु० 1453.79 लाख (रूपये चौदह करोड़ तिरपन लाख उन्चासी हजार मात्र) सिंचाई वि० उ०प्र० को भुगतान के उपरान्त दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० को भूमि अन्तरित की जाये”

उपरोक्त प्रकरण पर समिति द्वारा मा०मंत्री परिषद के अनुमोदन हेतु यह संस्तुति की गई।

“सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को ग्राम ओखला व जसौला के अन्तर्गत आगरा नहर दांयी पटरी में क्रमशः खसरा नं०-207 एवं खसरा नं०-305 की 42698.65 वर्गमीटर अर्थात् एकड़ भूमि को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० द्वारा मेट्रो के निर्माण हेतु (जनकपुरी बोटनिकल गार्डन (लाईन-8) के प्रोजेक्ट फेज-III) स्थायी रूप से दी जानी प्रस्तावित दिनांक 17.06.2013 को दिल्ली की cabinet Secretariat की बैठक में लिये गये निर्णय क्रम में यह भूमि एग्रीकल्चरल/रिवर बेड श्रेणी में आती है इस क्रम में वर्तमान में प्रचलित विभाग की नीति के अनुसार भूमि का मूल्य सर्किल रेट का शहरी क्षेत्र में दो गुना तथा ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना लिया जाना है। तदनुसार रकबा 10.55 एकड़ हेतु धनराशि कुल  $10.55 \times 68.90 \times 4 =$  रु० 2907.58 लाख (रूपये उनतीस करोड़ सात लाख अठारह हजार मात्र) सिंचाई विभाग, उ०प्र० को भुगतान के उपरान्त दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० को भूमि अन्तरित की जाये”।

(कार्यवाही- दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि० एवं सिंचाई विभाग उ०प्र०)

तदोपरान्त बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

  
(आनन्द मोहन प्रसाद)

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई

सदस्य सचिव  
21/11/15

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- २५२ / प्रअ/अनि/अनिम-६/यू-२/ दिनांक: ०६/५/२०१५

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
9. विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- ✓ 10. प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, मेट्रो भवन, फायर विग्रेड लेन, बाराखम्बा रोड़ नई दिल्ली-110001
11. मुख्य अभियन्ता, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, मेट्रो भवन, फायर विग्रेड लेन, बाराखम्बा रोड़ नई दिल्ली-110001
12. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
14. मुख्य अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
15. मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
16. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खंड, आगरा नहर, ओखला नई दिल्ली।

(पी०के० श्रीवास्तव)

मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन)

उ०प्र०)

अध्यक्ष, सिंचाई